भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 90

दिनांक 02 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों में जांच शुल्क

90: कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में परामर्श शुल्क, उपचार और जांच शुल्क को विनियमित करने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए हैं;
(ख) क्या निजी अस्पतालों में रोगियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की अधिकतम सीमा है; और
(ग) क्या सरकार निजी अस्पतालों में शोषणकारी और अनैतिक मूल्य-निर्धारण नीतियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कोई विधेयक लाने की योजना बना रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग): भारत सरकार ने देश में नैदानिक स्थापनाओं (सरकारी और निजी दोनों) के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापना(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम, 2010) अधिनियमित किया है और नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और उसे जारी रखने के लिए प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है:

i. प्रदान की गई प्रत्येक प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरों को स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में रोगियों के लाभार्थ एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना।
ii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मानक उपचार दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अब तक, एलोपैथी में 227 चिकित्सीय स्थितियों, आयुर्वेद में 18 स्थितियों और सिद्ध में 100 स्थितियों के लिए मानक उपचार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii. राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए प्रभार लगाना। इसके लिए, चिकित्सा प्रक्रियाओं की एक मानक सूची और लागत के लिए मानक टेम्पलेट को अंतिम रूप दिया गया है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा किया गया है जहां अधिनियम लागू है।

आदिनांक,12 राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और 7 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली को छोड़कर) द्वारा सीई अधिनियम, 2010 को अपनाया गया है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सीई अधिनियम, 2010 के उपबंधों को कार्यान्वित करना और उनकी निगरानी करना तथा निजी अस्पतालों में रोगियों द्वारा अदा किए जाने वाले विभिन्न प्रभारों की अधिकतम सीमा सहित परामर्श शुल्क, उपचार और जांच प्रभारों को विनियमित करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****